Uttar Pradesh Academy of Agricultural Sciences

(Registered under the Society Act of the Uttar Pradesh 1860, Registration No.17-2014-2015)

U.P. Council of Agricultural Research

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226 010 (U. P.), India

Letter No. 01/UPAAS/2014 Date 09 June, 2014

From: The Secretary
Uttar Pradesh Academy of Agricultural Sciences (UPAAS),
U.P. Council of Agricultural Research,
8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (U. P.)

Subject: Life Membership of UPAAS-reg.

Dear Sir/Madam,

With reference to above cited subject I wish to bring your kind notice that the **Uttar Pradesh Academy of Agricultural Sciences (UPAAS)** is an academic body registered under the Societies Act of Uttar Pradesh (1860). UPAAS under the aegis of U.P. Council of Agricultural Research (UPCAR), Lucknow started functioning from April 2014. The major objectives of the Academy are as follows-

i. To cultivate and promote research, education and development of agriculture and allied sectors.
ii. To encourage interaction among the personnel working in different organizations and areas for the education, research and development of agriculture and allied sectors.
iii. To disseminate technical knowledge on different aspects of agriculture and allied sectors by holding seminars, symposia, conferences, discussions etc. and publishing their proceedings.
iv. To recognize and promote/support excellence achieved in scientific research and development in the field of agriculture and allied sectors by individual scientists, inter-disciplinary teams, recognized institutions and learned societies.
v. To publish technical documents including those intended for policy-makers for the advancement of agricultural research and development.
vi. To secure and manage funds and endowments for the holistic development of agriculture education and allied sectors.
vii. To undertake other activities relevant to accomplish the above objectives.

Director General of UPCAR is the President of the Academy whereas Vice-chancellors of SAUs at Kanpur, Faizabad, Meerut and Banda, Veterinary University, Mathura and SHIATS-Deemed University, Allahabad are Vice Presidents. Currently Dr. I.N. Mukherjee and Dr. Sujit Kumar of UPCAR honorary hold the office of the Joint Secretary and Treasurer, respectively.

Recently UPAAS is collaborating with UPCAR as an organizing partner for "2nd UP Agricultural Science Congress on Technological and Governance Strategies for Advancement of Agricultural Education, Research and extension in Uttar Pradesh" being organized at Lucknow from June 14-16, 2014. In the coming future UPAAS is also planning to start various awards viz; UPAAS Fellow, Life Time Achievement Award etc. for the scientists, academicians engaged in agricultural research, education and extension activities of the state. UPAAS will also publish various proceedings, technical and policy documents for the holistic development and strengthening of agriculture education, research and extension in the state after group discussions, interaction, conferences, seminars, symposia etc.

In this regard, you are kindly requested to enroll yourself, as life members of UPAAS and to become active key, in technology development and dissemination chain of agriculture and allied sectors. The Membership Form is being enclosed herewith for your kind action.

With kind regards,

Sanjeev Kumar
Secretary, UPAAS, Lucknow

Uttar Pradesh Academy of Agricultural Sciences

(Registered under the Society Act of the Uttar Pradesh 1860, Registration No.17-2014-2015)

U.P. Council of Agricultural Research

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226 010 (U. P.), India

MEMBERSHIP FORM

To,

The Secretary
Uttar Pradesh Academy of Agricultural Sciences (UPAAS),
U.P. Council of Agricultural Research,
8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226 010 (U. P.), India

Sir,

May I request you to please enroll me as a Life Member/ Annual Member of UPAAS. I agree to abide by all rules and regulations of the Academy. I am enclosing herewith a Cheque/Demand Draft/e-transfer for ₹_ as my Membership Fee detailed below. My particulars are given below:

1. Name (Block Letters) :______________________________
2. Designation :______________________________
3. Date of Birth :______________________________
4. Academic/ Professional Qualification :______________________________
5. Name of Organization :______________________________
6. Postal Address :______________________________

   ____

   Pin______________State______________________
7. Telephone No. :.............................. ....Fax............................... ....
8. Mobile/ Cell No. :______________________________
9. Email Address :______________________________
10. About Nature of Professional Activities /Work/ Research Field Experience :______________________________

    ____

Payment of membership fees should be incurred either through Cash/DD/Cheque in favour of Uttar Pradesh Academy of Agricultural Sciences payable at Lucknow or by electronic transfer through RTGS/NEFT in the Academy Account No. 2405101011221, IFSC Code CNRB 0002405 at Canara Bank, Vipin Khand Branch, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (Uttar Pradesh).

Yours faithfully,

Dated: **Signature**

(For Official Use Only)

Received your application along with Cash/Cheque/DD No._ _ _ _ _ _ _ _ , dated_ _ _ _ _for ₹_ _ _ _ _ _ **OR** from electronic transfer. Your application is accepted/ not accepted by the Executive Council. Your Membership No. is _ _ _ _ _ _ _ _. For any further correspondence you may contact to the President, Uttar Pradesh Academy of Agricultural Sciences (UPAAS), U.P. Council of Agricultural Research, Lucknow or Mobile +919415195278. Email: upaaslucknow@gmail.com

Membership Fee Details: Life Membership – ₹ 5000/=, Annual Membership – ₹ 500/=

स्मृति-पत्र

(1)	**संस्था/समिति का नाम**	:	उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज
(2)	**संस्था/समिति का पता**	:	द्वारा-उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010
(3)	**संस्था/समिति का कार्य क्षेत्र**	:	उत्तर प्रदेश
(4)	**संस्था/समिति का उद्देश्य**	:	• कृषि एवं तत्संबंधित क्षेत्रों में शोध, शिक्षा एवं विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना। • शिक्षा, शोध एवं विकास हेतु विभिन्न संस्थानों एवं क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों के मध्य पारस्परिक मंथन को प्रोत्साहन। • कृषि एवं तत्संबंधित क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी ज्ञान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सेमिनार/संगोष्ठी, सिम्पोजिया, कान्फ्रेन्स, विचार मंथन आदि कार्यक्रमों का आयोजन एवं उनकी प्रोसीडिंग्स का प्रकाशन। • कृषि एवं तत्संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिकों द्वारा एकल रूप में, विभागीय स्तर पर समूह में, प्रतिष्ठित संस्थानों तथा विद्वत संस्थाओं द्वारा कृषि एवं तत्संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास के द्वारा प्राप्त की श्रेष्ठता को मान्यता एवं प्रोत्साहन। • कृषि अनुसंधान एवं विकास के आधुनिकीकरण हेतु तैयार किये गये तकनीकी प्रलेखों जिसमें नीति-निर्धारकों हेतु तैयार किये गये प्रलेख/दस्तावेज भी सम्मिलित हैं, को प्रकाशित करना। • कृषि शिक्षा एवं तत्संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु धन एवं सम्पत्ति का प्रबन्ध सुनिश्चित करना। • उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अन्य उपयुक्त गतिविधियों का क्रियान्वयन/आयोजन।

(5)	प्रबन्धकारणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था (उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज) के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था (उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज) का कार्यभार सौंपा गया।

क्रम सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ- 226 010	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010	अध्यक्ष	महानिदेशक/नौकरी
2	कुलपति	सैम हिग्गिनबॉटम इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद-211 007	उपाध्यक्ष	कुलपति/नौकरी
3	कुलपति	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद-224 229	उपाध्यक्ष	कुलपति/नौकरी
4	कुलपति	मान्यवर श्री कांशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा-210 001	उपाध्यक्ष	कुलपति/नौकरी
5	कुलपति	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ -250 110	उपाध्यक्ष	कुलपति/नौकरी
6	कुलपति	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर- 208 002	उपाध्यक्ष	कुलपति/नौकरी
7	कुलपति	उ.प्र. पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्साविज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281 001	उपाध्यक्ष	कुलपति/नौकरी

8	डा. संजीव कुमार	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010	सचिव	सहायक महानिदेशक/ नौकरी
9	डा. आई.एन. मुखर्जी	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010	संयुक्त सचिव	सहायक महानिदेशक/ नौकरी
10	डा. सुजीत कुमार	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010	कोषाध्यक्ष	वैज्ञानिक अधिकारी/ नौकरी
11	डा. आर.एस. राठौर	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010	सदस्य	उप महानिदेशक/ नौकरी
12	डा. विनोद कुमार तिवारी	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010	सदस्य	वैज्ञानिक अधिकारी/ नौकरी
13	डा. जय पाल	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010	सदस्य	वैज्ञानिक अधिकारी/ नौकरी

नियमावली

(1)	**संस्था/समिति का नाम**	:	उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज
(2)	**संस्था/समिति का पता**	:	द्वारा-उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010
(3)	**संस्था/समिति का कार्य क्षेत्र**	:	उत्तर प्रदेश

(4) **समिति की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः**

- **आजीवन सदस्यः** जो व्यक्ति समिति (उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइसेंज) को निःस्वार्थ भाव से ₹ 5000/- नगद या उतने ही मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति दान करता हो, वह समिति के आजीवन सदस्य होंगे।

- **सामान्य सदस्यः** जो व्यक्ति समिति (उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज) को निःस्वार्थ भाव से प्रति वर्ष ₹ 500/- वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे वह समिति के सामान्य सदस्य होंगे।

महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ तथा प्रदेश के समस्त कृषि एवं तत्संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होंगे। वरिष्ठतम कुलपति एकेडमी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होगा। एकेडमी के प्रथम (फाउन्डर) अध्यक्ष आजीवन विशिष्ट सदस्य रहेंगे। एकेडमी के सचिव एवं कोषाध्यक्ष हमेशा मुख्यालय (उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ) से ही होंगे। अध्यक्ष के लिखित निर्देश पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे। परिषद के महानिदेशक का पद रिक्त होने की दशा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकेडमी के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। एकेडमी के अन्य सदस्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर साधारण सभा द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं।

(5) **सदस्यता की समाप्ति**

- मृत्यु हो जाने पर।
- पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
- त्याग पत्र या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।

(6) **समिति के अंग**

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

(अ) साधारण सभा

(i) **गठनः** साधारण सभा का गठन आजीवन, विशिष्ट एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

(ii) **बैठकें:** साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(iii) **सूचना अवधिः** साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम 30 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

(iv) **गणपूर्तिः** साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक होगा।

(v) **वार्षिक अधिवेशन की तिथिः** साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिनॉक 14 जून को आयोजित किया जायेगा। इसकी तिथि में कोई परिवर्तन प्रबंधकारणी समिति के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ही किया जा सकेगा।

(vi) **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य**

- प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
- समिति का वार्षिक बजट पास करना।
- समिति की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- समिति की नीतियों का निर्धारण करना।
- संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से करना।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

(i) **गठनः** साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-छः, सचिव-एक, संयुक्त सचिव-एक, कोषाध्यक्ष-एक तथा तीन सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या तेरह होगी।

(ii) **बैठकें:** प्रबन्धकारणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार व विशेष बैठक आवश्यतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(iii) **सूचना अवधिः** प्रबन्धकारणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों व पदाधिकारियों को कम से कम 30 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व दी जायेगी।

(iv) **गणपूर्तिः** प्रबन्धकारणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक होगा।

(v) **रिक्त स्थान की पूर्तिः** प्रबन्धकारणी समिति में रिक्त स्थान होने पर पूर्ति साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

(vi) **प्रबन्धकारणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य**

- समिति के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।
- समिति हेतु सदस्यता शुल्क का निर्धारण करना।
- समिति का वार्षिक बजट तैयार करना एवं आडिट कराना।
- समिति के क्रियान्वयन एवं विभिन्न आयोजनों हेतु धन व्यय करना।
- समिति की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, सेवामुक्ति एवं निलम्बन आदि करना।
- समिति से प्रकाशित होने वाले प्रकाशनों में विज्ञापन की दरों का निर्धारण करना।
- समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु विभिन्न वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं एवं विशिष्ट व्यक्तियों से दान, अनुदान या आर्थिक सहायता प्राप्त कर कार्य करना।
- विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना और उन पर नियंत्रण रखना।

(vii) **कार्यकालः** प्रबन्धकारणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(7) **प्रबन्धकारणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**

(अ) अध्यक्ष

- समिति के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।
- सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- बैठकों के लिये तिथियों का निर्धारण करना।
- बैठकों के लिये तिथियों का अनुमोदन, परिर्वतन या परिवर्धन एवं बैठकों का स्थगित करना।
- समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

(ब) उपाध्यक्ष

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कर्तव्य एवं अधिकारों का निर्वहन वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(स) सचिव

- समिति की प्रगति के लिये हर सम्भव प्रयास करना।
- समिति की ओर से कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन करना।
- समिति को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करना।
- समिति के उद्‌देश्यों को हर सम्भव आगे बढ़ाने के लिये प्रयास करना।
- गत बैठक में लिए गये निर्णयों पर कार्यवाही करते हुये प्रगति प्रस्तुत करना।
- सदस्यों के नाम एवं कार्यवाही सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।
- समिति की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना तथा संस्था में वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन का कार्य करना।
- बिल बाउचरों, आहरण पत्रों, संविदा पत्रों इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।
- समिति के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करना।
- सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति देना।
- पक्ष-विपक्ष की मुकदमों की पैरवी कराना।
- समस्त चल एवं अचल संपत्ति की सुरक्षा व देख-रेख करना।

	(द) संयुक्त सचिव • सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के उपरोक्त दायित्वों का निर्वहन करना एवं सचिव की सहायता करना। **(य) कोषाध्यक्ष** • समिति के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना। • समिति का प्रतिवर्ष का लेखा परीक्षा (आडिट) कराना। • सदस्यों से चन्दा, सदस्यता शुल्क व अन्य स्त्रोंतो से धन प्राप्त कर यथाविध रसीदें देना एवं धन प्राप्त कर बैंक में समिति/संस्था के खाते में जमा करना। • सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का नियमानुसार भुगतान करना। • बिल, बाउचर एवं अन्य रजिस्टरें /अभिलेखों का रख-रखाव करना।
(8)	**समिति के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः** समिति के नियमें व विनियमें में संशोधन, परिर्वतन व परिर्वधन संबंधी कार्यवाही साधारण सभा के उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा की जायेगी।
(9)	**समिति का कोषः** समिति का समस्त कोष राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
(10)	**समिति के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)ः** समिति के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयेाग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।
(11)	**समिति के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः** समिति के द्वारा होने वाले पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
(12)	**समिति के अभिलेख** (अ) सदस्यता रजिस्टर। (ब) कार्यवाही रजिस्टर। (स) स्टाक रजिस्टर। (द) लेजर बुक। (य) कैश बुक। (र) आवश्यकतानुसार अन्य अभिलेख।
(13)	समिति के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सेासाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।